उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:11/2022/ 1355068/12-2002/3/2021
लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2022

कार्यालय-आदेश

नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (के. 50/रा. 50-रा.)-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू. 45000.00 लाख के सापेक्ष कार्यालय-आदेश संख्या:94/2021 /2539/1355068/12-2002/3/2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 द्वारा निर्गत धनराशि रू. 7994.00 लाख (उन्यासी करोड़ चौरानबे लाख रूपए मात्र) का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या-13012/01/2016-क्रेडिट-II (96939), दिनांक 02 फरवरी, 2022 के क्रम में, जब तक नई प्रक्रिया (PFMS) पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाती है, तब तक वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत धनराशि से बीजकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से पूर्व की भांति किए जाने की एतदद्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है।

2. कार्यालय-आदेश संख्या:94/2021/2539/1355068/12-2002/3/2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को संशोधित समझा जाए, कार्यालय-आदेश की शर्तें यथावत रहेंगी।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:11/2022/1355068(1)/12-2002/3/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या: एस-2279/सी-32/07/2021-22 दिनांक 04 फरवरी, 2022 के संदर्भ में,
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://sirisanadesh.up.gov.in